भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक मोहनलालगंज लखनऊ क्रम 2019232016692

आवेदन संख्या : 201900822014952

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2019-06-12 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम सम्राट मिश्रा

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 10000000 / 9054000

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 20000

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 60

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 20060

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2019-06-12 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2019-06-12 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

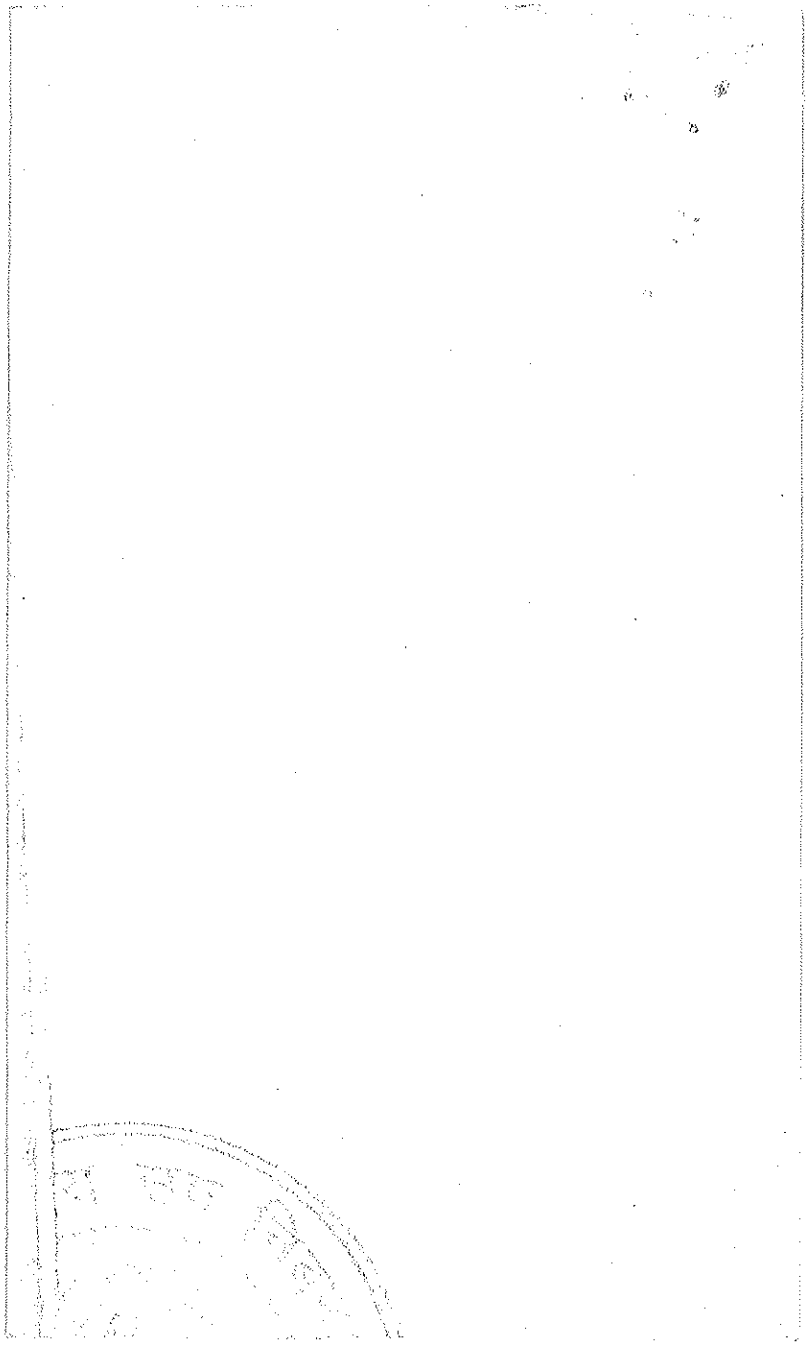

115005/19

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UP06191569241066R**
Certificate Issued Date	:	11-Jun-2019 01:23 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0107375238009207R
Purchased by	:	TIMES INFRA DEVELOPERS LLP
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	GATA NO.990 AND OTHER AREA-1.2575 HEC. SITUATED AT VILL -MASTEMAU, PARGANA AND TEH-MOHANLALGANJ, LKO.
Consideration Price (Rs.)	:	1,00,00,000 (One Crore only)
First Party	:	PAPPU SON OF LALA
Second Party	:	TIMES INFRA DEVELOPERS LLP
Stamp Duty Paid By	:	TIMES INFRA DEVELOPERS LLP
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	7,00,000 (Seven Lakh only)

STAMP PAPER USED

Sub Registrar (Mohanlalganj)
Lucknow U.P.

----------Please write or type below this line----------

Times Infradevelopers LLP

Authorised Signatory

SIR 0001153688

कार्यालय उप निबन्धक
मोहन लालगंज लखनऊ

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

पहचान पत्र BXQ1508498
IDENTITY CARD

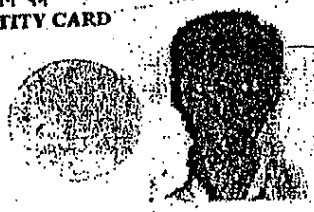

निर्वाचक का नाम : पप्पू
Elector's Name : Pappu
पिता का नाम : लाला
Father's Name : Lala

लिंग / Sex : पुरुष Male
1.1.2001 को आयु : 24
Age as on 1.1.2001

५८५

पहचान पत्र संख्या :- BXQ1508498

पता
म.सं. : ९५
गली/मोहल्ला : पुरसेनी
ग्राम/नगर : पुरसेनी
थाना : मोहन लाल गंज
जिला : लखनऊ

Address
H.No. : 95
Strt/Mohalla: Puraseni
Vill/Town : Puraseni
PoliceStn. : Mohan Lal Ganj
Distt. : Lucknow

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के
हस्ताक्षर की अनुकृति
निर्वाचन क्षेत्र 106- मोहनलालगंज
Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 106- Mohanalalaganj

स्थान : लखनऊ दिनांक : 31-08-2001
Place : Lucknow Date

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।
This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes.

115/550

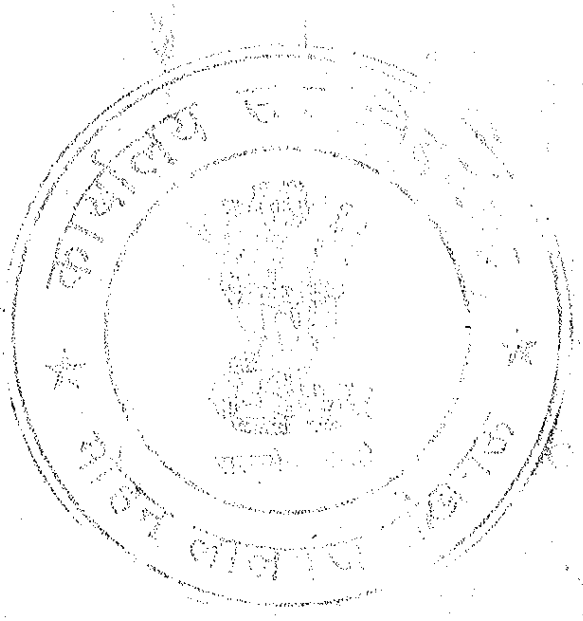

आयकर विभाग भारत सरकार

INCOME TAX DEPARTMENT GOVT. OF INDIA

PAPPU

LALA

24/03/1978

Permanent Account Number

[illegible]

कार्यालय

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

TIMES INFRA DEVELOPERS LLP

22/10/2014

Permanent Account Number

AAJFT6214C

12112014

Times Infra Developers LLP

Authorised Signatory

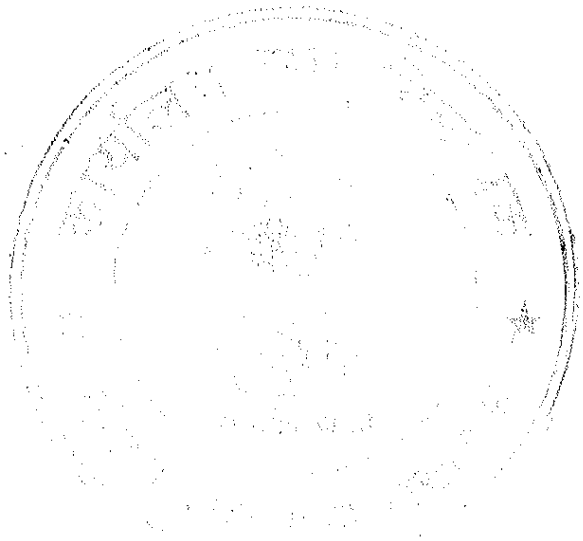

LUCKNOW BAR ASSOCIATION
LUCKNOW

LAWYER'S PROFESSIONAL IDENTITY CARD

Enrolment No : U.P. 04324/2008

Member's Name : **SAMRAT MISHRA**

Father's Name : Late K. L. Mishra

Date of Birth : 04-08-1980

Address : 555Ga/140, Subhash Nagar, Alambagh, Lucknow.

Ledger Number : S-583

Mobile Number : 9453220710

Jitendra Singh Yadav "Jeetu"
Gen. Secretary

Times Infradevelopers LLP

Authorised Signatory

भारत सरकार
Government of India

दिनेश
Dinesh
जन्म तिथि / DOB
पुरुष / Male

3746 3586 9983

मेरा आधार, मेरी पहचान

दिनेश

दिनेश

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: आत्मज: फेकराम, 36
ग्राम-हरदीपुर पोस्ट-सदर हरदीपुर
जौनपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश
222001

Address: S/O Fekuram, 36
Gram-Hardipur Post-Sadar Hardipur
Jaunpur, Jaunpur Uttar Pradesh 222001

3746 3586 9983

कार्यालय उप निबन्धक
सत्यमेव जयते

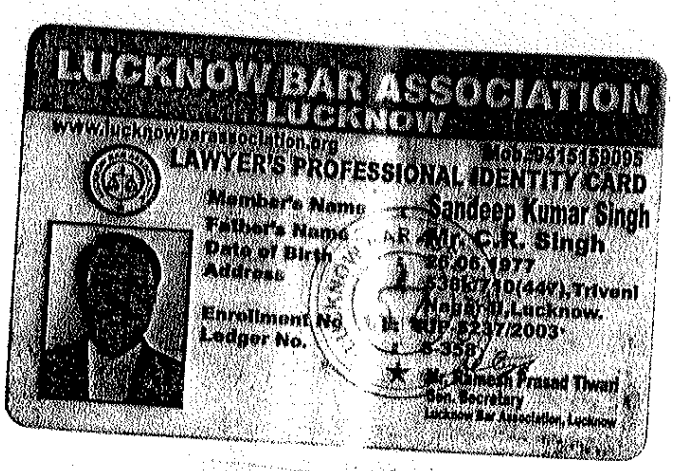

LUCKNOW BAR ASSOCIATION
LUCKNOW
www.lucknowbarassociation.org
Mob.9415158095
LAWYER'S PROFESSIONAL IDENTITY CARD

Member's Name : Sandeep Kumar Singh
Father's Name : Mr. C.R. Singh
Date of Birth : 26.06.1977
Address : 538/577D(440),Triveni Nehar Rd.Lucknow.
Enrollment No. : UP 2237/2003
Ledger No. : 458

Mr. Ramesh Prasad Tiwari
Sen. Secretary
Lucknow Bar Association, Lucknow

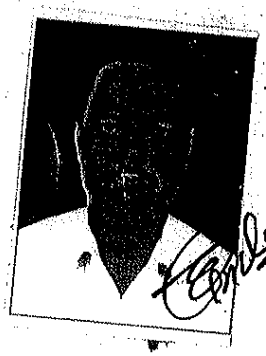

कार्यालय उप निबंधक
बालगंज

मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ
न्यायालय जिलाधिकारी
वाद संख्या:- 08366/2019
पप्पू बनाम सरकार
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D201910460008366
अंतर्गत धारा:- 98(1),उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 15/05/2019
अंतिम आदेश

आदेश

श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर इस न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। पक्षों के तलब होने पर क्रेता एवं विक्रेता का बयान अभिलिखित किया गया, जो सलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजारू मूल्य रू0 90,54,000/- (नब्बे लाख चैव्वन हजार रूपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि रू0 1,00,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि रू0 1,00,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का रू0 1,00,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रू0 1,00,00,000/-रूपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 2.614हे0 भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98(1)ग व उ0प्र0 राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8)घ व इ के अधीन श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ को ग्राम मस्तेमऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 990 रकबा 0.629हे0, गाटा संख्या 1070 रकबा 0.040हे0, गाटा संख्या 1186मि रकबा 0.253हे0, गाटा संख्या 1076 रकबा 0.176हे0 का भाग 0.163हे0 व गाटा संख्या 1118 रकबा 0.690हे0 का 1/4 भाग रकबा 0.1725हे0 कुल 5 किता कुल रकबा 1.2575हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी कार्यालय पता जी0एफ0-10, सिटी सेन्टर 2 चाईना बाजार रोड, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो

तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरूद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8 (ड़) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नही रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ /तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ /उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
लखनऊ।
15.05.2019

आज दिनाँक 15.05.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर लखनऊ

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
लखनऊ।
15.05.2019

तहसीलदार
प्रमाणित प्रतिलिपि
22/5/19

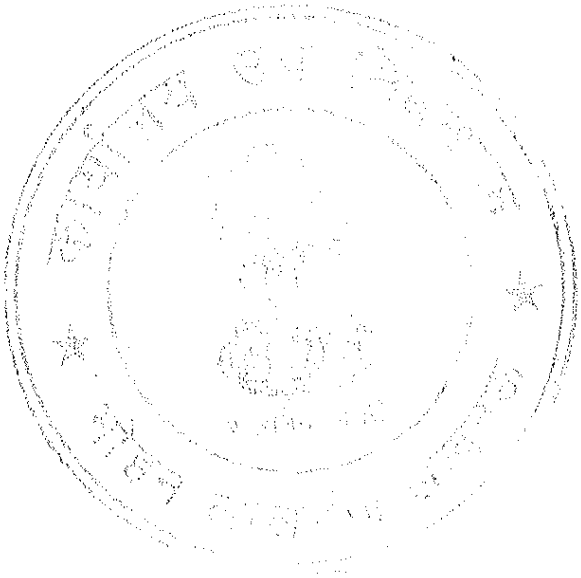

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : मस्ते मऊ परगना : (मोहनलालगंज) तहसील : मोहनलालगंज जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1 खाता संख्या : 00148

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश		टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।					
पप्पू / लाला / पुरसेनी	990	0.6290			
योग	1	0.6290			

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Digital India NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : मस्ते मऊ परगना : (मोहनलालगंज) तहसील : मोहनलालगंज जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1 खाता संख्या : 00146

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश		टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।					
पम्प / लाला / पुरसेनी	1070	0.0400			
योग	1	0.0400			

यदि आप उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम् सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Digital India NATIONAL INFORMATICS CENTRE

कार्यालय उप निबंधक
मेहन लालगंज लखनऊ

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : मस्ते मऊ परगना : (मोहनलालगंज) तहसील : मोहनलालगंज जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1 खाता संख्या : 00145

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।				
पम्प / लाला / पुरसेनी	1186मि.	0.2530	-	
योग	1	0.2530		

कृपया उक्त खसरे की प्रतिलिपि (भूखंड (प्लाट) के बाद क्रय /विक्रय /भू-नक्शा) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त अभिलेख मात्र अवलोकनार्थ है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से प्रमाण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit Lucknow.

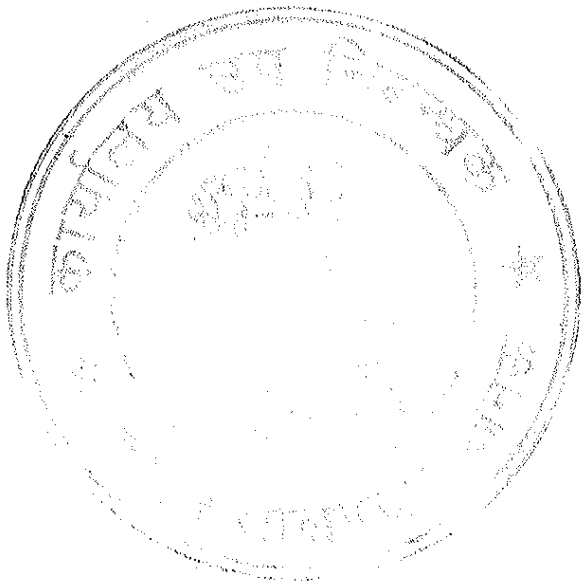

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : मस्ते मऊ परगना : (मोहनलालगंज) तहसील : मोहनलालगंज जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1 खाता संख्या : 00147

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।				
पम् / लाला / पुरसेनी श्रीमती रामरती / पुत्री सुक्खा / नि.ग्राम श्रीमती आशा / पुत्री सुक्खा / नि.ग्राम	1076	0.1760		
योग	1	0.1760		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बंद भ्रंत /विक्रय /भू-नक्शा) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम् सी.एस.सी. सेवाकेन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

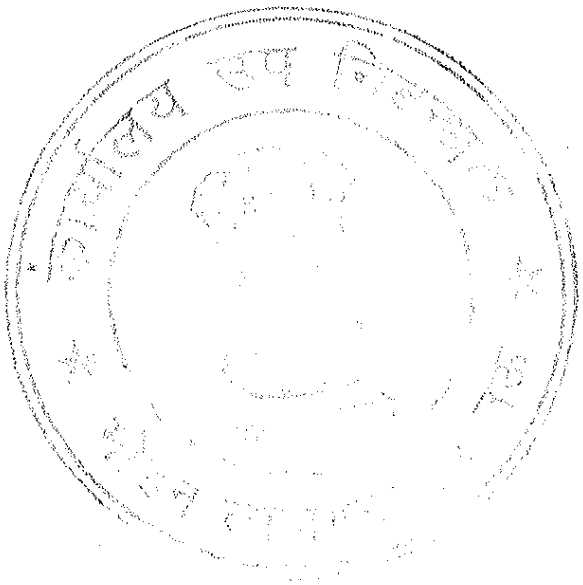

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : मस्ते मऊ परगना : (मोहनलालगंज) तहसील : मोहनलालगंज जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1 खाता संख्या : 00258

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
मेसर्स मिलाप कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. / . / द्वितीय तल एल्डिको चैम्बर 1 विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ द्वारा अधि.मनीष चन्द्रा / स्व.डा.एस.सी.माथुर / 23अलोकपुरी रवीन्द्रपल्ली फैजाबाद रोड लखनऊ गुलशन कुमार द्वारा पंजी.अटार्नी / . / . मोहित भाटिया / वेद प्रकाश भाटिया / बी.2/347से.ए.सीतापुर रोड योजना एस.बी.आई.कालोनी लखनऊ महेश कुमार / बीरबल / 68विष्णुपुरी चर्च रोड लखनऊ द्वारा पंजी.मोहित भाटिया / वेद प्रकाश भाटिया / 2/347से.ए.सीतापुर रोड जानकीपुरम लखनऊ सत्येन्द्र कुमार / जगदीश प्रसाद / 4/2टाईप-II 4पी.डब्लू.डी.कालोनी जेल रोड लखनऊ	1118	0.6900	आदेश तह.मोहनलालगंज बाद स.टी-2017104639037956/30.8.17 बहवाला खाता स.83 पर दर्ज है। ह.र.का./14.9.17	
योग	1	0.6900		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रहण /विक्रय /भू-नक्शा) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त ऑकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्गरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Digital India NATIONAL INFORMATICS CENTRE

कार्यालय उप निबन्धक

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : मस्ते मऊ परगना : (मोहनलालगंज) तहसील : मोहनलालगंज जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1418-1423 भाग : 1 खाता संख्या : 00401

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
सुन्दर / गुलाब / नि. मिर्जापुर उपग्राम	990 1048/1198	0.6290 0.1340	1418फ./आ.तह.मोहनलालगंज वाद स.1212/ 09-10/18.8.10 गाटा स.1048/1198/0.1340 मा.गु.60ख से विक्रेता सुन्दर पुत्र गुलाब नि.मिर्जापुर म.मस्तेमऊ का नाम खारिज करके क्रेता तिलकचन्द्र बौद्ध पुत्र आर.एस.लाल नि.636/23 गाजीनगर तकरोही लखनऊ का नाम बतौर स.भू. द्वारा बैनामा दि.16.2.10 दर्ज हो। ह.र.का./8.10.10 1419फ./आ.तह.मोहनलालगंज वाद सं. 2624/10-11/ 8.9.11 खाता सं. 990/0.629हे. का 1/2 भाग रकबा 0.0880हे. मा.गु.60ख से विक्रेता सुन्दर पुत्र गुलाब नि. मिर्जापुर म. ग्राम का नाम पृथक करके क्रेता मोहन कुमार पुत्र वीरबल नि. 68 विष्णुपुरी चर्च रोड लखनऊ का नाम बतौर स.भू. द्वारा बैनामा दि. 29.6.11 अंकित हो। ह.र.का./16.9.11	

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

गाँव का नाम : मस्ते मऊ परगना : (मोहनलालगंज) तहसील : मोहनलालगंज जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1418-1423 भाग : 1 खाता संख्या : 00401

1419फ./आ.तह. मोहनलालगंज वाद सं. 2018/10-11/ 8.9.11 बहवाला खाता सं. 29 पर अंकित है। ह.र.का./16.9.11

1419फ./आ.तह.मोहनलालगंज वाद स.409/11-12/ 22.10.11खाता स.401 गाटा स.990/0.629 सम्पूर्ण आदेश दि.8.9.11 में आशिंक संशोधन किया जाता है।ह.र.का./1.11.11

1419फ./आ.तह. मोहनलालगंज वाद सं. 2473/10-11/8.9.11 बहवाला खाता सं. 309 पर दर्ज है।ह.र.का./19.7.14

आदेश तह.मोहनलालगंज वाद स.771/21.12.15 गाटा स.990/0.626 सम्पूर्ण व 1070/0.040 सम्पूर्ण व 1186मि./0.253 सम्पूर्ण व 1076/0.176 का भाग रकबा 0.163हे. व 1118/0.690 का 1/4 भाग रकबा 0.1725हे. कुल 5किता रकबा 1.2575हे. मा.गु.60ख से विक्रेता मोहित पुत्र वेद प्रकाश नि.1763

आर्य बस्ती कोटला मुबारकपुर दिल्ली का नाम खारिज करके क्रेता पप्पू पुत्र लाला नि.पुरसेनी का नाम जरिये बैनामा दि.3.11.15 दर्ज हो।ह.र.का./ 10.3.16

विक्रय मूल्य –रू0 1,00,00,000/–
मालियत –रू0 90,54,000/–
स्टाम्प –रू0 7,00,000/–
परगना – मोहनलालगंज

विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – मोहनलालगंज
3. मोहल्ला/ग्राम – मस्तेमऊ
4. सम्पत्ति का विवरण – आराजी खसरा संख्या–990, 1070, 1186मि. (सम्पूर्ण), खसरा संख्या–1076 व 1118 का मिनजुमला
5. मापन की इकाई – हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 1.2575 हेक्टेयर
7. सड़क की स्थिति–(परिशिष्ट के अनुसार)
   – सुल्तानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि)– नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार : – कृषि भूमि
10. पेड़ों का मूल्यांकन – X
11. बोरिंग/कुआं/अन्य – X
12. निर्माण का वर्ष – X
13. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं
14. प्रतिफल की धनराशि 1,00,00,000/– रूपये

खसरा संख्या–990 की चौहद्दी

पूरब – भूमि खसरा संख्या–1014 (बक्कास)
पश्चिम – भूमि खसरा संख्या–989
उत्तर – भूमि खसरा संख्या–1009, 1010 (बक्कास)
दक्षिण – भूमि खसरा संख्या–992

खसरा संख्या–1070 की चौहद्दी

पूरब – भूमि खसरा संख्या–1069
पश्चिम – भूमि खसरा संख्या–1071
उत्तर – भूमि खसरा संख्या–1059 चक मार्ग
दक्षिण – भूमि खसरा संख्या–1073

Times Infradevelopers LLP
Authorised Signatory

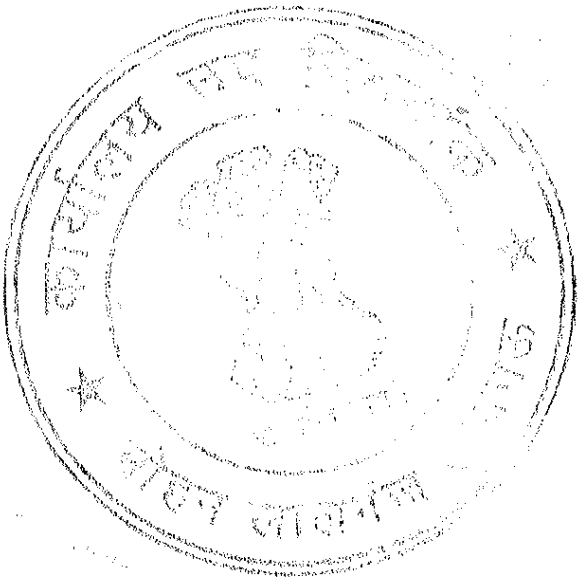

खसरा संख्या–1186मि. की चौहद्दी

पूरब – भूमि खसरा संख्या–1189
पश्चिम – चक मार्ग
उत्तर – भूमि खसरा संख्या–1185 (नाली)
दक्षिण – भूमि खसरा संख्या–1187

खसरा संख्या–1076 की चौहद्दी

पूरब – भूमि खसरा संख्या–1065
पश्चिम – भूमि खसरा संख्या–1078
उत्तर – भूमि खसरा संख्या–1075
दक्षिण – चक मार्ग

खसरा संख्या–1118 की चौहद्दी

पूरब – चक मार्ग
पश्चिम – भूमि खसरा संख्या–1119
उत्तर – भूमि खसरा संख्या–1117
दक्षिण – भूमि खसरा संख्या–1184 चक मार्ग

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

पप्पू पुत्र लाला, निवासी–ग्राम–पुरसेनी, तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ, उ0प्र0।

क्रेता का विवरण

टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी, कार्यालय पता–जी0एफ0–10, सिटी सेन्टर–2, चाईना बाजार रोड, लखनऊ द्वारा अधोहस्ताक्षरी सम्राट मिश्रा पुत्र स्व0 के0एल0 मिश्रा

यह विक्रय विलेख **पप्पू पुत्र लाला, निवासी–ग्राम–पुरसेनी, तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ, उ0प्र0** (जिसे आगे इस विलेख में विक्रेता कहा गया है) के द्वारा **टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी, कार्यालय पता–जी0एफ0–10, सिटी सेन्टर–2, चाईना बाजार रोड, लखनऊ द्वारा अधोहस्ताक्षरी सम्राट मिश्रा पुत्र स्व0 के0एल0 मिश्रा**, (जिसे आगे इस विलेख में क्रेता कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

जो कि विक्रेता **भूमि खाता संख्या–00148, खसरा संख्या–990 रकबा–0.629 हेक्टेयर, खाता संख्या–00146 खसरा संख्या–1070 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खाता संख्या–00145**

Times Infradevelopers LLP
Authorised Signatory

Contd.....

खसरा संख्या–1186मि. रकबा 0.253 हेक्टेयर, खाता संख्या–00147 खसरा संख्या–1076 रकबा 0.176 हेक्टेयर का जुज भाग यानी 0.163 हेक्टेयर व खाता संख्या–00258 खसरा संख्या–1118 रकबा 0.690 हेक्टेयर का 1/4 भाग यानी 0.1725 हेक्टेयर, कुल पांच किता कुल रकबा–1.2575 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ, का मालिक कामिल व काबिज हूँ, उक्त भूमि को विक्रेता ने मोहित पुत्र वेद प्रकाश से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से दिनांक 03.11.2015 को क्रय किया था, जो उपनिबन्धक–मोहनलालगंज, लखनऊ के कार्यालय अभिलेखों में बही संख्या–1 जिल्द संख्या–6175 के पृष्ठ संख्या–175 से 190 पर क्रमांक–19320 पर दिनांक 03.11.2015 को पंजीकृत है और जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

विदित हो कि विक्रेता अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, इसलिए विक्रेता ने उक्त भूमि क्रेता को विक्रय करने हेतु न्यायालय जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी आदेश वाद सं0–08366/2019, कम्प्यूटरीकृत सं0–डी201910460008366 दिनांक 15.05.2019 के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर ली है।

जो विक्रेता के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजूद है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक–साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। इसलिए विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के पूर्ण होशो हवास में अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपरोक्त भूमि नम्बरी व पैमायशी को बकीमत मु0 **रूपया–1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया–50,00,000/– (पचास लाख रूपया मात्र)** होते हैं, में बदस्त क्रेता उपरोक्त के पक्ष में बय फरोख्त कतई किया यानि बेच दिया और कुल जरसमन हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या विक्रेता के किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य

Times Infradevelopers LLP

Authorised Signatory

Contd.....

कार्यालय उप निबंधक
मोहन बागान लेन

के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व विक्रेता के वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे कोई मुकाम उज्र का न होगा। आज की तारीख से क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रीत भूमि को समस्त राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लेवें, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुऑ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है तथा 0–200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण, आबादी/आवासीय गतिविधियां विद्यमान नहीं है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड़, कुआं, बोरिंग आदि नहीं है और उक्त भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य हैं एवं क्रेता अनुसूचित जाति से भिन्न जाति का है।

विक्रीत भूमि अर्द्धनगरीय क्षेत्र के परगना–मोहनलालगंज, के ग्राम–मस्तेमऊ की है। विक्रीत भूमि का कुल **क्षेत्रफल–1.2575 हेक्टेयर** है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के अनुसार सरकारी मूल्य **रूपया 72,00,000/– प्रति हेक्टेयर** की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग या सम्पर्क मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुबलिग **रूपया–90,54,000/–** होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–स.वि.क.नि.5–2756/

Times Infradevelopers LLP

Authorised Signatory

Contd.....

11–2008–500 (165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रूपया–7,00,000/– का स्टाम्प शुल्क ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र सं0–IN-UP06191569241066R दिनांक 11.06.2019, के माध्यम से अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है। प्रस्तुत विक्रय विलेख विक्रेता एवं क्रेता के बताये गये तथ्यों एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेता एवं क्रेता की होगी। टाईपकर्ता एवं मसविदाकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

लिहाजा यह विक्रय विलेख समक्ष गवाहान खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरूस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर करके बैनामें का निष्पादन किया।

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमि खाता संख्या–00148, खसरा संख्या–990 रकबा–0.629 हेक्टेयर, खाता संख्या–00146 खसरा संख्या–1070 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खाता संख्या–00145 खसरा संख्या–1186मि. रकबा 0.253 हेक्टेयर, खाता संख्या–00147 खसरा संख्या–1076 रकबा 0.176 हेक्टेयर का जुज भाग यानी 0.163 हेक्टेयर व खाता संख्या–00258 खसरा संख्या–1118 रकबा 0.690 हेक्टेयर का 1/4 भाग यानी 0.1725 हेक्टेयर, कुल पांच किता कुल रकबा–1.2575 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

तफसील वसूलयाबी जरसमन

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य विक्रेता ने क्रेता से वर्ष 2015 में ही प्राप्त कर लिया है एवं क्रेता द्वारा उपरोक्त विक्रय मूल्य का

Times Infradevelopers LLP

Authorised Signatory

Contd.....

आवेदन सं०: 201900822014952

विक्रय पत्र

बही स०: 1

रजिस्ट्रेशन स०: 11585

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 10000000 स्टाम्प शुल्क- 700000 बाजारी मूल्य - 9054000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 20060

श्री टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी द्वारा
सम्राट मिश्रा अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री स्व० के०एल० मिश्रा
व्यवसाय : वकालत
निवासी: जी०एफ०-10, सिटी सेन्टर-2, चाईना बाजार रोड, लखनऊ।

श्री. टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी द्वारा सम्राट मिश्रा अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 12/06/2019 एवं 02:30:32 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शालिनी अवस्थी
उप निबंधक :मोहनलालगंज
लखनऊ
12/06/2019

अशोक कुमार गुप्ता
निबंधक लिपिक

I.T. 194 (1)A के अन्तर्गत 1 प्रतिशत टी0डी0एस0 भी अदा किया गया है, जो विक्रय मूल्य में समायोजित है। अब विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता को क्रेता से कुछ भी धनराशि पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ
दिनांक : 11.06.2019

ह0 विक्रेता

(पप्पू)
पैन–BPPPP8556L

1. गवाह :
दिनेश कुमार
पुत्र श्री फेकूराम
पता–ग्राम–हरदीपुर, पोस्ट–सदर,
जिला–जौनपुर, उ0प्र0

2. गवाह :
संदीप कुमार सिंह, अधिवक्ता
पुत्र श्री सी0आर0 सिंह
पता : कलेक्ट्रेट, लखनऊ

ह0 क्रेता

Times Infradevelopers LLP
Authorised Signatory

(सम्राट मिश्रा)
अद्योहस्ताक्षरी
टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी
पैन–AAJFT6214L

टाइपकर्ता

(अनिल बालाजी)
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(मुकेश मणि त्रिपाठी)
एडवोकेट
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

आवेदन सं०: 201900822014952

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 11585 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री पप्पू, पुत्र श्री लाला

निवासी: ग्राम–पूरसेनी, तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

श्री टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी के द्वारा सम्राट मिश्रा, पुत्र श्री स्व० के०एल० मिश्रा

निवासी: जी०एफ०–10, सिटी सेन्टर–2, चाईना बाजार रोड, लखनऊ।

व्यवसाय: वकालत

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री दिनेश कुमार, पुत्र श्री फेकूराम

निवासी: ग्राम–हरदीपुर, पोस्ट–सदर, जिला–जौनपुर, उ०प्र०।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री संदीप कुमार सिंह, पुत्र श्री सी०आर० सिंह

निवासी: कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

व्यवसाय: वकालत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

शालिनी अवस्थी
उप निबंधक : मोहनलालगंज
लखनऊ

अशोक कुमार गुप्ता
निबंधक लिपिक

सम्पत्ति का मानचित्र

भूमि खाता संख्या–00148, खसरा संख्या–990 रकबा–0.629 हेक्टेयर, खाता संख्या–00146 खसरा संख्या–1070 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खाता संख्या–00145 खसरा संख्या–1186मि. रकबा 0.253 हेक्टेयर, खाता संख्या–00147 खसरा संख्या–1076 रकबा 0.176 हेक्टेयर का जुज भाग यानी 0.163 हेक्टेयर व खाता संख्या–00258 खसरा संख्या–1118 रकबा 0.690 हेक्टेयर का 1/4 भाग यानी 0.1725 हेक्टेयर, कुल पांच किता कुल रकबा–1.2575 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम–मस्तेमऊ, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

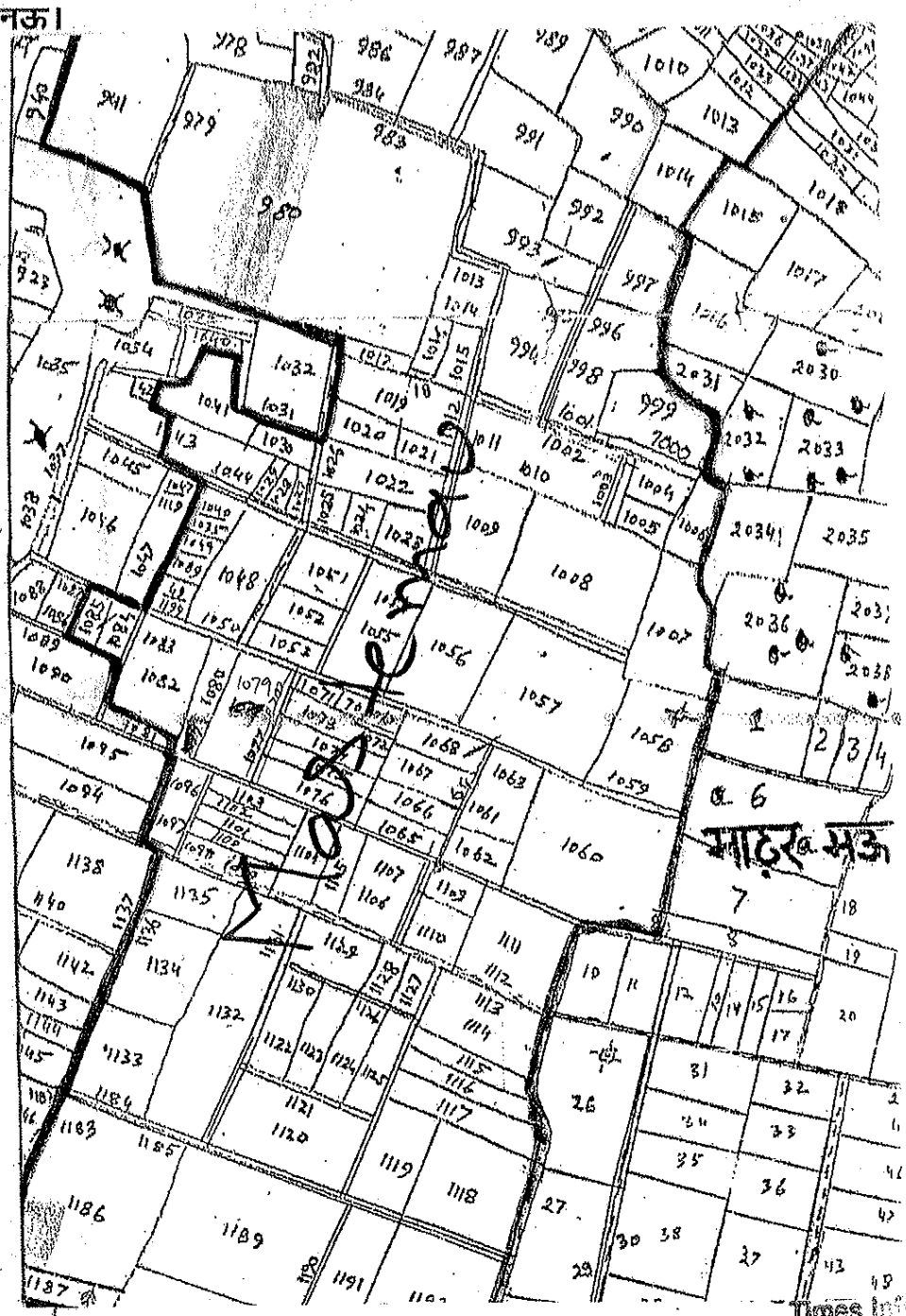

Times Infrastructure LLP

Authorised Signatory

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर

आवेदन सं०: 201900822014952

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10474 के पृष्ठ 17 से 32 तक क्रमांक 11585 पर दिनाँक 12/06/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शालिनी अवस्थी
उप निबंधक : मोहनलालगंज
लखनऊ
12/06/2019

कार्यालय उप निबंधक
मोहन लालगंज लखनऊ

मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ

न्यायालय जिलाधिकारी

वाद संख्या:- 08366/2019

पप्पू बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D201910460008366

अंतर्गत धारा:- 98(1),उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 15/05/2019

अंतिम आदेश

आदेश

श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर इस न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। पक्षों के तलब होने पर क्रेता एवं विक्रेता का बयान अभिलिखित किया गया, जो सलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजारू मूल्य रू0 90,54,000/- (नब्बे लाख चैव्वन हजार रूपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि रू0 1,00,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि रू0 1,00,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का रू0 1,00,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रू0 1,00,00,000/-रूपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 2.614हे0 भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98(1)ग व उ0प्र0 राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8)घ व ड़ के अधीन श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ को ग्राम मस्तेमऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 990 रकबा 0.629हे0, गाटा संख्या 1070 रकबा 0.040हे0, गाटा संख्या 1186मि रकबा 0.253हे0, गाटा संख्या 1076 रकबा 0.176हे0 का भाग 0.163हे0 व गाटा संख्या 1118 रकबा 0.690हे0 का 1/4 भाग रकबा 0.1725हे0 कुल 5 किता कुल रकबा 1.2575हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी कार्यालय पता जी0एफ0-10, सिटी सेन्टर 2 चाईना बाजार रोड, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो

मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ
न्यायालय जिलाधिकारी
वाद संख्या:- 08366/2019
पप्पू बनाम सरकार
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D201910460008366
अंतर्गत धारा:- 98(1),उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 15/05/2019
अंतिम आदेश

आदेश

श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर इस न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। पक्षों के तलब होने पर क्रेता एवं विक्रेता का बयान अभिलिखित किया गया, जो सलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजारू मूल्य रू0 90,54,000/- (नब्बे लाख चैव्वन हजार रूपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि रू0 1,00,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि रू0 1,00,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का रू0 1,00,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रू0 1,00,00,000/-रूपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 2.614हे0 भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98(1)ग व उ0प्र0 राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8)घ व इ के अधीन श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ को ग्राम मस्तेमऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 990 रकबा 0.629हे0, गाटा संख्या 1070 रकबा 0.040हे0, गाटा संख्या 1186मि रकबा 0.253हे0, गाटा संख्या 1076 रकबा 0.176हे0 का भाग 0.163हे0 व गाटा संख्या 1118 रकबा 0.690हे0 का 1/4 भाग रकबा 0.1725हे0 कुल 5 किता कुल रकबा 1.2575हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी कार्यालय पता जी0एफ0-10, सिटी सेन्टर 2 चाईना बाजार रोड, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो

तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरूद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8 (इ) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नही रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ /तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ /उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
लखनऊ।
15.05.2019

आज दिनाँक 15.05.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि
चीफ क्लर्क
जिला मजिस्ट्रेट/जिला जिलाधिकारी
लखनऊ
22/5/19

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
लखनऊ।
15.05.2019

मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ

न्यायालय जिलाधिकारी

वाद संख्या:- 08366/2019

पप्पू बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D201910460008366

अंतर्गत धारा:- 98(1),उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 15/05/2019

अंतिम आदेश

आदेश

श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर इस न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। पक्षों के तलब होने पर क्रेता एवं विक्रेता का बयान अभिलिखित किया गया, जो सलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजारू मूल्य रू0 90,54,000/- (नब्बे लाख चैव्वन हजार रूपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि रू0 1,00,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि रू0 1,00,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का रू0 1,00,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रू0 1,00,00,000/-रूपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 2.614हे0 भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98(1)ग व उ0प्र0 राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8)घ व इ के अधीन श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ को ग्राम मस्तेमऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 990 रकबा 0.629हे0, गाटा संख्या 1070 रकबा 0.040हे0, गाटा संख्या 1186मि रकबा 0.253हे0, गाटा संख्या 1076 रकबा 0.176हे0 का भाग 0.163हे0 व गाटा संख्या 1118 रकबा 0.690हे0 का 1/4 भाग रकबा 0.1725हे0 कुल 5 किता कुल रकबा 1.2575हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी कार्यालय पता जी0एफ0-10, सिटी सेन्टर 2 चाईना बाजार रोड, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो

तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरूद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8 (इ) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नही रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ /तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ /उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
लखनऊ।
15.05.2019

आज दिनाँक 15.05.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
लखनऊ।
15.05.2019

प्रमाणित प्रतिलिपि
जिला मजिस्ट्रेट/जिला जिलाधिकारी
लखनऊ
22/5/19

मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ

न्यायालय जिलाधिकारी

वाद संख्या:- 08366/2019

पप्पू बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D201910460008366

अंतर्गत धारा:- 98(1),उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 15/05/2019

अंतिम आदेश

आदेश

श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर इस न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। पक्षों के तलब होने पर क्रेता एवं विक्रेता का बयान अभिलिखित किया गया, जो सलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजारू मूल्य रू0 90,54,000/- (नब्बे लाख चैव्वन हजार रूपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि रू0 1,00,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि रू0 1,00,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का रू0 1,00,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रू0 1,00,00,000/-रूपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 2.614हे0 भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98(1)ग व उ0प्र0 राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8)घ व इ के अधीन श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ को ग्राम मस्तेमऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 990 रकबा 0.629हे0, गाटा संख्या 1070 रकबा 0.040हे0, गाटा संख्या 1186मि रकबा 0.253हे0, गाटा संख्या 1076 रकबा 0.176हे0 का भाग 0.163हे0 व गाटा संख्या 1118 रकबा 0.690हे0 का 1/4 भाग रकबा 0.1725हे0 कुल 5 किता कुल रकबा 1.2575हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी कार्यालय पता जी0एफ0-10, सिटी सेन्टर 2 चाईना बाजार रोड, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो

तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8 (ड़) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नही रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ /तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ /उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
लखनऊ।
15.05.2019

आज दिनाँक 15.05.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
लखनऊ।
15.05.2019

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर

प्रमाणित प्रतिलिपि
जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर
लखनऊ

मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ

न्यायालय जिलाधिकारी

वाद संख्या:- 08366/2019

पप्पू बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D201910460008366

अंतर्गत धारा:- 98(1),उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 15/05/2019

अंतिम आदेश

आदेश

श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर इस न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। पक्षों के तलब होने पर क्रेता एवं विक्रेता का बयान अभिलिखित किया गया, जो सलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजारू मूल्य रू0 90,54,000/- (नब्बे लाख चैव्वन हजार रूपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि रू0 1,00,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि रू0 1,00,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का रू0 1,00,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रू0 1,00,00,000/-रूपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 2.614हे0 भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98(1)ग व उ0प्र0 राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8)घ व इ के अधीन श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ को ग्राम मस्तेमऊ परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 990 रकबा 0.629हे0, गाटा संख्या 1070 रकबा 0.040हे0, गाटा संख्या 1186मि रकबा 0.253हे0, गाटा संख्या 1076 रकबा 0.176हे0 का भाग 0.163हे0 व गाटा संख्या 1118 रकबा 0.690हे0 का 1/4 भाग रकबा 0.1725हे0 कुल 5 किता कुल रकबा 1.2575हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति टाइम्स इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी कार्यालय पता जी0एफ0-10, सिटी सेन्टर 2 चाईना बाजार रोड, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो

तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरूद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8 (इ) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नही रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री पप्पू पुत्र स्व0 लाला निवासी ग्राम पुरसेनी, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ /तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ /उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
लखनऊ।
15.05.2019

आज दिनाँक 15.05.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
लखनऊ।
15.05.2019

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर लखनऊ

प्रमाणित प्रतिलिपि
22/5/19